न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 61/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2021/112

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. सुखी देवी पत्नी भगाराम निवासी राणावास स्टेशन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. सीता पुत्री भगाराम पत्नी पारस निवासी गादाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. घेवरराम पुत्र भगाराम मालवीय लोहार निवासी गादाणा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. ग्राम पंचायत मलसा बावड़ी जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण औझा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/01/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत मलसा बावड़ी द्वारा मिसल संख्या 05/1984 दिनांक 02.04.1984, संकल्प संख्या 01 दिनांक 19.07.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 19.07.1984 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 भगाराम की पत्नी, प्रार्थी संख्या 2 भगाराम की पुत्री तथा अप्रार्थी संख्या 1 भगाराम का पुत्र है। जैर निगरानी पट्टा देवीलाल एवं घेवरराम के पक्ष में जारी हो रखा है किन्तु देवीलाल का देहान्ता हो रखा है जिनके पीछे वर्तमान में कोई वारिश नहीं है। भगाराम ने अपने जीवनकाल में जैर आराजी खरीद की थी, जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 का हक अधिकारी निहित है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा ही जैर आराजी का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ने बिना हस्ताक्षर के जैर निगरानी पट्टा जारी किया तथा हस्तगत पट्टे जारी करते समय ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं की है, इसलिये विधिविरूद्ध जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मलसा बावड़ी द्वारा मिसल संख्या 05/1984 दिनांक 02.04.1984, संकल्प संख्या 01 दिनांक 19.07.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 19.07.1984 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पंचायती राज नियम 1961, के नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस पर न तो अप्रार्थी के हस्ताक्षर है और न ही आवेदन के साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के आवेदन पर मिसल कायम की गयी परन्तु हस्तगत मिसल में कोई भी आदेशिका संलग्न नहीं है। जैर आराजी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो नक्शा तैयार किया गया उस पर नक्शा बनाने वाले तथा सायल के हस्ताक्षर ही नहीं है और न ही ग्राम पंचायत की मुहर अथवा सरपंच के हस्ताक्षर है। साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया उस बाबत् भी किसी दिनांक का अंकन नहीं है। आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करवायी जानी थी, जो नहीं करवायी गयी।

इसके पश्चात नियम 256 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258 के तहत "क से घ" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही आपत्ति पत्र न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही जारी करने की दिनांक अंकित है, इसके अतिरिक्त नोटिस के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Add. collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार – आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई लोक सुचना प्रकाशित नहीं हुई, कोई आपतियॉ भी नहीं मागी गई और न ही सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1963 के नियम 255 से 269 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मलसा बावड़ी द्वारा मिसल संख्या 05/1984 दिनांक 02.04.1984, संकल्प संख्या 01 दिनांक 19.07.1984 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 8 दिनांक 19.07.1984 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)